

उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक ...../रा०

प्रेषक,

उपायुक्त,  
हजारीबाग।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
रामगढ़ वन प्रमण्डल,  
हजारीबाग।

हजारीबाग, दिनांक ...../2016

विषय :- 33 KV सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माणार्थ हजारीबाग गिद्दी फिडर से रामगढ़ स्पंज आयरन प्रा०लि०, होसिर, हजारीबाग तक गैरमजरूआ जंगल किस्म की 3.0161 हेक्टेयर (7.46 एकड़) भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र का प्रेषण।


प्रसंग :- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर का पत्रांक 203 दिनांक 16.07.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्राप्त 33 KV सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माणार्थ हजारीबाग गिद्दी फिडर से रामगढ़ स्पंज आयरन प्रा०लि० होसिर, हजारीबाग तक गैरमजरूआ जंगल किस्म की 3.0161 हेक्टेयर (7.46 एकड़) भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन




उपायुक्त, हजारीबाग।

ज्ञापक ...../रा०

हजारीबाग, दिनांक 17.07.2016

प्रतिलिपि :- रामगढ़ स्पंज आयरन प्रा०लि०, पी०एन० बैंक के समीप, मेन रोड, रामगढ़ कैंन्ट, जिला-रामगढ़ को अनापत्ति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, हजारीबाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उपायुक्त, हजारीबाग।

**उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग।**  
(जिला राजस्व शाखा)

प्रमाण :-

सरकार के सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1900/रा0 दिनांक 06.05.3025 एवं विभागीय संकल्प संख्या 1817/रा0 दिनांक 30.04.2015 के आलोक में हजारीबाग जिला के डाड़ी अंचल अंतर्गत 33 के0भी0 सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माणार्थ (हजारीबाग गिद्दी फिडर से समगढ़ स्पंज आयरन प्रा0लि0, होसिर, हजारीबाग तक) परियोजना हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल डाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) के संबंध में प्रमाण-पत्र।

गैरमजरूआ (जंगल-डाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो निम्नवत् है:-

क्र0सं0	अंचल का नाम	मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा (एकड़ में)	किस्म भूमि
1	डाड़ी	डाड़ी	43	90	1460	0.16	जंगल
2	डाड़ी	डाड़ी	43	90	1486	0.11	जंगल
3	डाड़ी	डाड़ी	43	90	904	0.85	जंगल
4	डाड़ी	डाड़ी	43	90	890	0.69	जंगल
5	डाड़ी	डाड़ी	43	90	867	0.73	जंगल
6	डाड़ी	होसिर	44	75	1378	2.48	जंगल
7	डाड़ी	होसिर	44	75	1477	0.24	जंगल
8	डाड़ी	होसिर	44	75	1377	1.03	जंगल
9	डाड़ी	होसिर	44	75	1485	0.10	जंगल
10	डाड़ी	बसरिया	38	16	3	1.07	जंगल
11	डाड़ी	बसकुदरा	38	68	100	-	खाता 68 में प्लॉट 100 नहीं है।
12	डाड़ी	बसकुदरा	37	48	95	-	खतियानी रैयती भूमि
<b>कुल रकबा:-</b>						<b>7.46</b>	

कुल रकबा 3.0161 हेक्टेयर (7.46 एकड़) में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायगा। गैरमजरूआ जंगल-डाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

अंचल अधिकारी,  
डाड़ी

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,  
सदर, हजारीबाग।

अनुमोदन पदाधिकारी,  
सदर, हजारीबाग।

अपर समाहिता,  
हजारीबाग।

उपायुक्त,  
हजारीबाग।

अंचल अधिकारी,  
डाड़ी, हजारीबाग